जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू
पलामू समाहरणालय परिसर (सी) ब्लॉक, मेदिनीनगर–822101 ई–मेलः– palamau.mdm@gmail.com

पत्रांक 1082

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पलामू।

सेवा में,

प्राचार्य,
ब्राईट लैण्ड स्कूल,
बाईपास रोड, डालटनगंज,
पलामू।

मेदिनीनगर, दिनांक– 03/07/2019

विषय :– **निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि आपके द्वारा मान्यता हेतु अभ्यावेदन विहित प्रपत्र में कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है, जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा ब्राईट लैण्ड स्कूल, (अंग्रेजी माध्यम) बाईपास रोड, डालटनगंज, पलामू का स्थलीय जांच किया गया, जिसके आलोक में राज्य सरकार के अनुमोदन की प्रत्याशा में शैक्षणिक सत्र 2019–22 हेतु अस्थाई रूप से कक्षा 1 से 8 तक के लिए औपबंधिक रूप से मान्यता प्रदान करने की ससूचना दी जाती है।

उपरोक्त मान्यता निम्नांकित शर्तो के अधीन होगा :–

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा। अन्यथा की स्थिति में अस्थाई रूप से दी गयी मान्यता समाप्त करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. उक्त कंडिका–3 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 को उपधारा–2 के उपबंधों के तहत् प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित होगा।
5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता–पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधी का पालन किया जाएगा।
7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :–
   (क) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा यां उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
   (ग) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ड.) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।

(च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता, अधिनियम 2009 के लागू होने के समय नहीं है पांच वर्ष के भीतर ऐसी न्यनतम अर्हताएं अर्जित कर लेंगे।

(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखीत अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।

(ज) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानको और सन्नियमों को बनाये रखेगा।

10. विद्यालय पूर्णतः अस्थाई/औपबंधिक रूप से एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्यता प्रदान करने की सरूचना दी जाती है।

11. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।

(क) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 2.11 एंकड़
(ख) कुल निर्गत क्षेत्र– 73194 वर्ग फीट
(ग) क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल– 18718
(घ) कक्षाओं की संख्या– 44
(ड.) प्राध्यापक सह कार्यालय सह भंडारगार के लिए कक्ष– 12
(च) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– 16
(छ) पेयजल सुविधा–उपलब्ध
(ज) वाधारहित पहुंच–उपलब्ध
(झ) अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– उपलब्ध

12. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

13. विद्यालय भवन अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

14. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाएगा।

15. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकांउटेट द्वारा सपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।

16. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय का कार्यकरण की कर्मियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

17. विद्यालय के सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इस सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रदृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जाएगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाएगा।

Digitally signed by Ragini Rai
Date: 2021.04.29 18:34:21
+05'30'

विश्वासभाजन

03/07/15

जिला शिक्षा अधीक्षक,
पलामू।

03/07/15